



कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना-ईओडब्ल्यू रायपुर
अपराध क्रमांक-09/15

जिला-रायपुर।
धारा-109, 120(बी), 409, 420 भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ.नि.अ. 1988

थानू राम अनंत पिता दुकालू राम अनंत, उम्र 57 वर्ष, वरिष्ठ सहायक, एम.डी. कक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, रायपुर, पता - एम.-15, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर मोबाईल न0 - 8120037201

—00—

मैं थानू राम अनंत मई 1988 में नागरिक आपूर्ति निगम में ज्वाइन किया था। पूछने पर बताया कि मैं नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर में गोदाम सहायक, जिला प्रबंधक कार्यालय नहर पारा रायपुर मुख्यालय में पिछले 3-4 सालों से पदस्थ था। वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मुझे लकवा मार गया जिसके कारण चलने-फिरने में कठिनाई होती है। थोड़ा बहुत बोलता हूँ।

पूछने पर बताया कि मैं एम0डी0 अनिल टुटेजा साहब के कार्यालय में पी0ए0 गिरीश शर्मा का सहायक था। पूछने पर बताया कि कई बार जिला प्रबंधकों के कार्यालयों से चावल उपार्जन में कुछ राशि सीधे एम0डी0 अनिल टुटेजा साहब के पास आती थी जो गिरीश शर्मा के पास भिजवाते थे। गिरीश शर्मा द्वारा कई बार मुझे लिफाफे में सील करके उक्त राशि को रखने दिया जाता था जिसे मैं अपने घर पर रख लेता था तथा गिरीश शर्मा के मांगने पर मैं उन्हें लाकर दे देता था। चूंकि वह लिफाफा बंद रहता था इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि कितना पैसा रहता था। यही मेरा कथन है।

ROAC, before me,

06/05/14
(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर।